भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 970557

उत्सर्ग ट्रस्ट

[illegible] विवेक–

यह न्यास–विलेख आज दिनांक–31.12.2012 को अम्बेडकरनगर में [illegible] प्रसाद वर्मा पुत्र [illegible] प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम [illegible] पो. सिकन्दरपुर जनपद– अम्बेडकरनगर द्वारा घोषित किया गया है जिसमें न्यासकर्ता/संस्थापक [illegible] न्यासकर्ता/संस्थापक [illegible] [illegible] [illegible] (दस हजार रुपये) की राशि से [illegible] हेतु दान देने की इच्छा [illegible] है। न्यासकर्ता/संस्थापक [illegible] हेतु इच्छुक है [illegible] [illegible] [illegible] इस ट्रस्ट का [illegible] [illegible] [illegible] न्यासकर्ता/संस्थापक की [illegible] इच्छा है कि [illegible] [illegible] ट्रस्ट [illegible] [illegible] न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा से [illegible] (दस हजार रुपये) [illegible] ट्रस्ट को प्रदान किया है।

[illegible] में इस ट्रस्ट का [illegible] कार्यालय ग्राम व पोस्ट सिकन्दरपुर तहसील [illegible] अम्बेडकरनगर [illegible] होगा। ट्रस्ट का [illegible] [illegible] [illegible] पो. [illegible] तहसील [illegible] अम्बेडकरनगर [illegible] [illegible] [illegible] इस कार्यालय को [illegible] में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्रमशः........

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 970552

न्यास कर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार लेखबद्ध घोषित किया जाता है–

सत्कर्म ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

<u>उद्देश्य एवं नियमावली–</u>

ट्रस्ट का उद्देश्य–ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा–

1– बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं चिकित्सालयों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावास, कम्प्यूटर केन्द्रों का संचालन, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण पशुपालन उत्थान केन्द्रों की स्थापना, विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालन करना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत कराना।

2– ग्राम विकास औद्योगीकरण गतिविधियों का संचालन करना।

3– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

4– कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।

5– उद्यान एवं जंगलात का विकास करना।

6– महिला, बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।

क्रमशः......

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 970553

7— प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

8— कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान/महाविद्यालय की स्थापना करना।

9— केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेल-कूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम्य विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

10— आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, ऑपरेशन टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, फिजियोथिरेपी आदि मेडिकल कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

11— समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी एवं फर्म इत्यादि की स्थापना करना।

12— पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण करना तथा मूल्य का निर्धारण करना।

13— विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, शिक्षा, गार्डन, आदि सभी सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, डीफार्मा आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

क्रमशः______

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 970554

14— विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनके आवागमन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।

15— पुस्तकों, साहित्यिक पत्रों, पाठ्य ग्रन्थ आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण करना।

16— सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों का आयोजन करना।

17— सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना तथा हस्त कला, शिल्प कला, सिलाई केन्द्रों की स्थापना करना व संचालन करना।

18— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से सहयोग प्राप्त करना अथवा सहयोग प्रदान करना।

19— विधिसम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

20— आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार करना।

21— कृषि उपयोगी कार्य करना एवं प्रचार–प्रसार करना।

22— पर्यावरण सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी करना तथा सेमिनार करना।

23— एड्स के बारे में जन–जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

24— पुस्तक/पुस्तिकायें, पत्र–पत्रिकायें, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, संपादित, वितरित एवं बिक्री करना।

[illegible] [illegible]______

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 970555

25— ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं, वस्तुओं के लिए शुल्क, मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

26— पत्राचार द्वारा अध्ययन, अध्यापन को प्रोत्साहित करना।

27— उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन–चेतना जागृत करना।

28— धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करना।

29— जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा क्रियान्वयन करना।

30— विभिन्न आयोजनों एवं कार्यों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।

31— ट्रस्ट के कोष तथा संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसको ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

32— ट्रस्ट जन कल्याण के कार्य करेगा। ट्रस्ट मूल रूप से लाभ अर्जित करने की संस्था नहीं होगी। ट्रस्ट सदा समय अपनी सेवायें/वस्तुये लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य किया जायेगा।

33— बाल श्रमिकों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना।

34— ट्रस्ट द्वारा अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही व्यय किया जायेगा।

क्रमशः.......

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 977717

30- किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना, फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल को आयात एवं निर्यात करना।

प्रारम्भिक प्रबन्ध-

1- वर्तमान में ट्रस्टडीड के पंजीकृत के दिनांक से कमला प्रसाद वर्मा जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2- यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्ट अध्यक्ष कमला प्रसाद वर्मा द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न किया जाय तो कमला प्रसाद वर्मा की मृत्यु के उपरान्त उनका बड़ा पुत्र इस ट्रस्ट का ट्रस्टी होगा।

3- वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में जब चाहे अपना उत्तराधिकार अपने उत्तराधिकारियों को हस्तान्तरित कर सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण-

1- मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारियों मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

कमला प्रसाद वर्मा

क्रमशः.....

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 977718

2- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3- किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी या अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो इस ट्रस्टडीड में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।

4- मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5- मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके घोषित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल में सत्ताई में की गयी वसीयत/इच्छा व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रमाण______

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BB 977719

6– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकेगा।

7– कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष तभी तक अपने उत्तराधिकार सम्बन्धी विषय पर विचार एवं पुनर्विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वह वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को प्रदान न कर दे।

8– कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज–

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार–विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें अधिकतम 21 सदस्य हो सकते हैं।

2– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय इसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यावधि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्ट के पद से हटा सकता है।

3– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष करेगा।

क्रमशः

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 977720

4– यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5– यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतः मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है, इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा।

अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधायें–

1– यह कि अध्यक्ष ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2– यह कि ट्रस्टी अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आय कर लगता है तो ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं, स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा, ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्यक्षेत्र–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है, किन्तु ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय भारत में ही होगा।

कृष्णा प्रसाद शर्मा

क्रमशः—

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 977721

मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करके निरस्त/अस्वीकृत/संशोधित कर दे । मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा-निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा ।

सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :-

1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2- यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधायें, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- यह कि सचिव, उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह पर कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक, विधिक/अनुशासनात्मक, दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

हस्ता. ______

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BB 977722

उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

1- मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2- यह कि उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुविधाओं का कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

3- यह कि उपाध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक ही कार्य करेंगे । मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों से पदच्युत एवं अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

क्रेता________

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BB 577723

<u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकारों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष ट्रस्टी के विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :-

1- बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

2- ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देखरेख करने के लिए उपाध्यक्ष, सचिव एवं उपसचिवों की नियुक्ति करना ।

3- इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जोकि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

<u>उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>

अध्यक्ष ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता है ।

क्रमशः ____

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 977724

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची :–

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता
1	कमला प्रसाद वर्मा	स्व0 श्री महावीर प्रसाद वर्मा	अध्यक्ष	ग्राम व पो0 सिकन्दरपुर अम्बेडकरनगर
2	राजेश कुमार वर्मा	श्री कमला प्रसाद वर्मा	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	ग्राम व पो0 नगपुर, अम्बेडकरनगर
3	संजीव कुमार वर्मा	श्री कमला प्रसाद वर्मा	उपाध्यक्ष	पाण्डेयपुर कालोनी, जलालपुर, अम्बेडकरनगर
4	श्रीमती गीता चौधरी	श्री राजेश कुमार	सचिव	पाण्डेयपुर कालोनी, जलालपुर, अम्बेडकरनगर
5	सरजू देवी	श्री राम जियावन	कोषाध्यक्ष	ग्राम–राजपुर, पो0 सिकन्दरपुर, अम्बेडकरनगर
6	उषा देवी	श्री रामदेव सहाय	[illegible]	ग्राम मठीहामानपुर, पो0 [illegible] अम्बेडकरनगर
7	श्रीमती शशि किरन वर्मा	श्री राहुल	उपसचिव	मानस नगर कालोनी लखनऊ
8	श्रीमती सुमन वर्मा	श्री उमेश चन्द्र	उपसचिव	ग्राम–रामदिलपुर, पो0 मछलीगांव, अम्बेडकरनगर
9	श्री पंकज कुमार वर्मा	श्री रामजियावन वर्मा	परामर्शदाता	ग्राम–राजपुर, पो0 सिकन्दरपुर, अम्बेडकरनगर

क्रमशः......

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 414415

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही का उत्तरदायी है । ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार होंगे :–

1– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना ।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को नियंत्रण रखना ।

3– ट्रस्ट के अन्तर्गत आधारित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही करना ।

4– विभिन्न कार्य कलापों के उद्देश्यों को पूर्ण करने इसकी कोषों/विभाग/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना तथा उनके संचालकों/निदेशकों/पदाधिकारियों आदि को संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम उपनियम बनाना।

5– ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की पूर्ति हेतु निर्णायक नियुक्त करना।

6– एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनके कार्य का विभाजन करना ।

7– प्रचार–प्रसार मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8– जन समस्याओं के कल्याण हेतु विभिन्न आयोजन करना ।

<u>उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>

1– सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

क्रमश:

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 414416

2– सचिव द्वारा लिखित रूप से अधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हो ।

3– सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।

2– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में अध्यक्ष के निर्देश पर आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करना।

3– ट्रस्ट का बजट बनाना एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से स्वीकृत कराना।

बैंक एकाउन्ट–

1– ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक, पोस्ट आफिस में खोला जा सकेगा । मैनेजिंग ट्रस्ट अध्यक्ष स्वयं या उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा स्थापित किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान, केन्द्र, कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नामों से खाता खोलना एवं उसे संचालित करना। इस विषय में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है और संचालित किया जा सकता है।

3– मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष एकल खाता भी संचालित कर सकता है।

क्रमशः......

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 414417

विधिक कार्यवाही–

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

सम्पत्ति सम्बन्धी–

1– ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है। जो कि एक नागरिक /व्यक्ति को प्राप्त होते है।

2– अध्यक्ष ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी परिस्थिति में इस ट्रस्टडीड के किसी प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकता है अथवा अन्यथा निर्णय ले सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कभी भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उत्कर्ष ट्रस्ट की उक्त न्यास-विलेख एवं उसमें सन्निहित उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। उक्त न्यास-विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षीगण :–

साक्षी नं० 1– [illegible]
हस्ताक्षर– [illegible]
पता [illegible]

साक्षी नं० 2– [illegible]
हस्ताक्षर– [illegible]
पता

कमला प्रसाद वर्मा
कमला प्रसाद वर्मा
संस्थापक/अध्यक्ष
उत्कर्ष ट्रस्ट

[illegible]
मसविदा कर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 414423

इति दिनांक 31/12/2012

दानकर्ता एवं घोषणाकर्ता – कमला प्रसाद वर्मा

3411
31-12-2012

501
संख्या 3445

आज दिनांक 31/12/2012 को
बही सं 1 जिल्द सं 23
पृष्ठ सं 373 से 406 पर क्रमांक 29
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

[illegible]
नाम [illegible] सिंह
उप निबंधक [illegible]
[illegible] नगर